Before the National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi

Original Application No 889/2019

Residents of Antriksh Kanball 3G, Sector-77, Noida — Applicant (s)

Vs

State of Uttar Pradesh & Ors — Respondents

Action taken Report in the matter of M/s Antriksh Kanball 3G, Sector-77 Noida Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

In compliance of Hon'ble NGT order Dated 20-09-2019 in O.A. No 889/2019 Residents of Antriksh Kanball Vs State of Uttar Pradesh & Ors. A team of UPPCB representative and CGWA, Lucknow representative constituted for joint inspection.

Joint inspection of M/s Antriksh Kanball 3G, Sector-77, Noida (by builder M/s Perfect prop. build Pvt Ltd. Second floor, Plot No -2, Commercial complex, sector-10, Dwarka, New Delhi) was carried out by the team on dated 10-10-2019 and 28-11-2019.

Joint inspection report is annexed. **Annexure – I**

Based on inspection dated 10-10-2019, Recommendation for imposing environmental compensation on Antriksh kanball has been sent to Head office UP Pollution Control Board, Lucknow wide letter dated 19-11-2019 copy enclosed. **Annexure – II.**

UP Pollution Control Board has issued show cause notice to M/s Antriksh Kanball 3G, Sector-77, Noida (by builder M/s Perfect prop. build pvt ltd. Second floor, Plot No -2, Commercial complex, sector-10, Dwarka, New Delhi.) wide its letter no. H-44382/C-1/Jal/1314/कारण बताओ नोटिस/201 dated-29-11-2019 and imposed environmental compensation of Rs. 3,28,50,000 (Three crore, Twenty eight lacks fifty thousand only). Copy enclosed. **Annexure-III**

Action taken report is submitted for kind perusal.

30/11/19

(Dr. Anil Kumar Singh)
Regional Officer
UP Pollution Control Board
Noida

Scanned by CamScanner

Annex. I

Before the National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi

Original Application No 889/2019

Residents of Antriksh Kanball 3G. Applicant(s)

Vs

State of Uttar Pradesh & Ors Respondents

Report of the Joint Inspection of M/S Antriksh Kanball 3G, Secter-77 Noida (Group Housing Project), Noida,Gautam Budha Nagar on 28.11.19

In original application no 889/2019 residents of Antriksh Kanball 3G, Secter-77, Noida V/s State of Uttar Pradesh of Ors, Hon'ble National Green Tribunal has ordered on 20.09.2019 as following-

With a view to consider the allegations, we find it necessary to require a factual and action taken report from the State PCB and CGWA by email at judicial-NGT@govt.in. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

In compliance of the above order, Undersigned has visited M/s Antriksh Kanball, Plot No-GH 3B, Sector-77, Noida on dated 10.10.2019 and 28.11.2019. Mr. Vijay Pandit, Project Manager & Mr. Rajendra Singh, Manager of M/s Perfect Prop Build (Private) Ltd. (M/s Antriksh Kanball) Second floor Plot No-2, Commercial Complex, Sector-10, Dwarka, New Delhi and the complainant Mr. Ratnesh Gupta and others were present at the time of inspection on 28.11.2019. The following observations have been made during the inspection-

1. M/s Antriksh Kanball and M/s Antriksh Forest are the two multistoried buliding's established on Plot No-GH 3B, Sector-77, Noida. The complaint has been filed by the residents of Antriksh Kanball.
2. In this tower 560 flats are constructed, in which the 450 families are living.
3. The sewage effluent generated from the flats is stored in pucca tank made in basement. From this tank the untreated sewage effluent is discharged into sewer line by pump.(Photographs attached)
4. Sewage treatment plant has not been installed in this tower.
5. The residents in this tower are living for last three years.
6. The builder was given EC (Environmental Clearance) from SEIAA, U.P. (State level Environmental Impact Assessment Authority) in the name of M/s Antariksh Forest in which a STP of 600 KLD capacity was proposed but the builder has established STP of 100 KLD capacity only in Antariksh Forest. This STP is under size and it is not sufficient

Scanned by CamScanner

to treat the whole effluent of the tower. A sample of the treated sewage effluent from this STP was collected on 10.10.2019. The analysis report is enclosed in which different parameters are more than the standards prescribed by CPCB.

7. A 500 KVA DG Set has been installed for supply of electricity during disrupt of electricity supply. The chimney as per CPCB norms has not been established on this DG Set. (Photographs attached)
8. The NOC for establishing the project and the Consent (Air/Water) to operate the project has not been obtained from UPPCB.
9. During the joint inspection visit, one tube well has been found in the basement, which is located below the main gate. This tube well was recently covered by cement platform, so that it could not visible.
10. The tube well is fitted with submersible pump and water is being done to residents of Antriskh Kanball for drinking/domestic purposes
11. **Presently, ground water is being abstracted without prior NOC from CGWA.**
12. Besides, earlier, one tube well was also constructed in Antriksh Kanball ,now it has been closed as reported by Shri Vijay Pandit, Project Manager and residents of M/s Antriskh Kanball. This tube well is found dismantled at the time of inspection.
13. It has been observed that design of roof top rain water harvesting system is not correct and systems are also not being maintained. Grey water of the area is being diverted to rain water harvesting systems which may contaminate ground water in the area. Suggestion have been given to the project for the changes to be implemented in rain water harvesting structures.

In view of the above violations the Environmental Compensation and Legal Action is proposed. The case has been recommended for imposing the Environmental Compensation and Initiating legal action to Head Office, UPPCB Lucknow for consideration.(Report Attached)

The report is being sent for your kind perusal

Enclosure As Above.

28.11.19

(Jagdamba Prasad)
Scientist-D
Central Ground Water Board
Northern Region
Lucknow

28.11.19

(Krishna Mohan Srivastva)
Assistant Environment Engineer
U.P.Pollution Control Board
Noida

Scanned by CamScanner

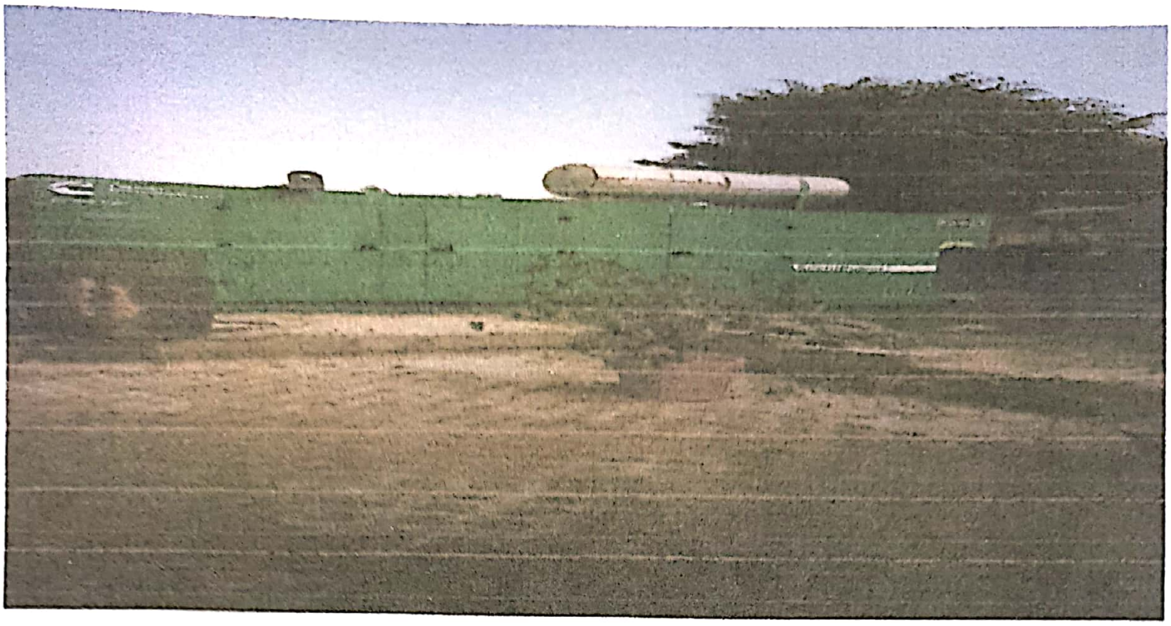

500 KVA DG Set without chimney of proper height

The untreated sewage effluent stored in pucca pit in basement

Scanned by CamScanner

The untreated sewage effluent being pumped outside from pucca pit in basement

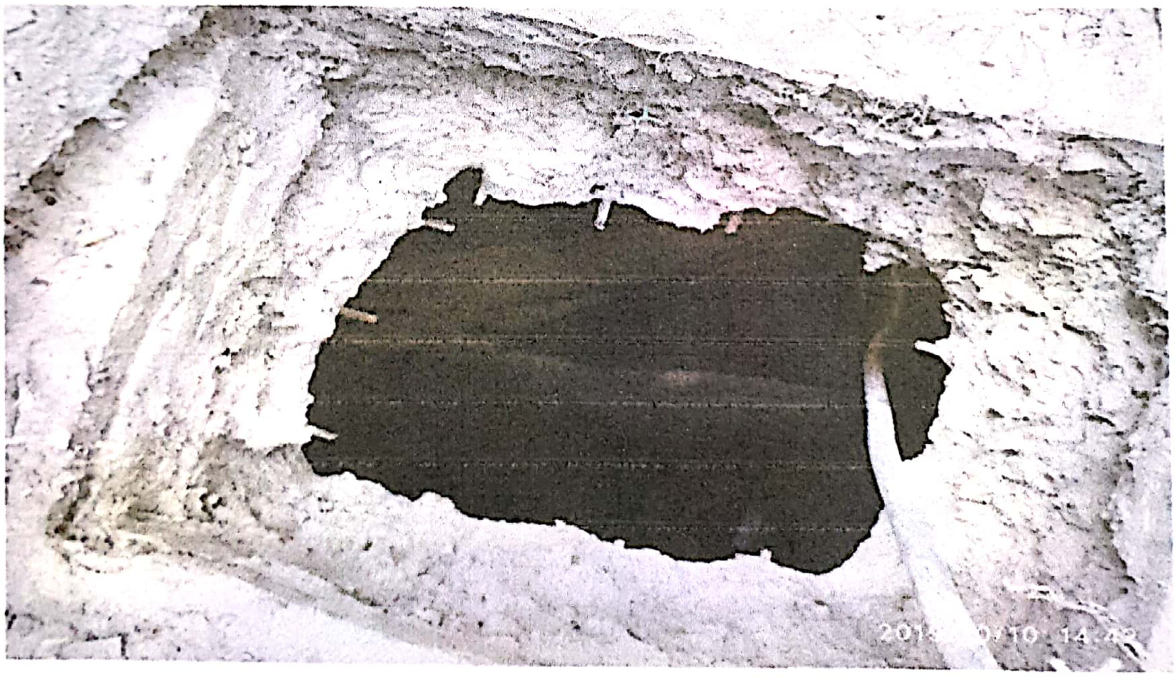

Roof Top Rain Water Harvesting Structures in AntrikshKanball project area

Scanned by CamScanner

Roof Top Rain Water Harvesting Structures in Antriksh Kanball project area

Scanned by CamScanner

Annex . II

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा

ई–12/1, सेक्टर–1 नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : ronoida@uppcb.com, फोन : 0120.4974552

पत्रांक 1104 A/L-91/2019 दिनांक 19/11/19

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय– मा0 ए0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित ओ.ए. नं0–889/2019 Residents of Antriksh Kenball GH-3B, Sector-77, Noida में पारित आदेश दिनांक 20.09.2019 के अनुपालन में मै0 अन्तरिक्ष केनबाल, जी0एच0–03बी, सेक्टर–77, नोएडा के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 ए0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित ओ.ए. नं0–889/2019 Residents of Antriksh Kenball GH-3B, Sector-77, Noida में पारित आदेश दिनांक 20.09.2019 में आदेशित किया गया है कि उक्त परियोजना के विरूद्ध वादी द्वारा लगाये गये आरोपों की जाँच राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा करके Action Taken Report मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित की जाये। उक्त वाद की आगामी सुनवाई की तिथि 02.12.2019 नियत है। उक्त आदेश के अनुपालन में मै0 परफेक्ट प्रोपर्टीज बिल्ड प्रा0 लि0 द्वितीय तल, प्लाट नं0–02, कामर्शियल काम्पलैक्स, सेक्टर–10, द्वारका नई दिल्ली की आवासीय परियोजना मै0 अंतरिक्ष केनबाल, जी0एच0–03 बी, सेक्टर–77, नोएडा का निरीक्षण कार्यालय के सहायक पर्यावरण अभियन्ता, श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 10.10.2019 को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ के श्री जगदम्बा प्रसाद, वैज्ञानिक डी, के साथ किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त परियोजना के प्रबन्धक श्री विजय पंडित उपस्थित थे। उक्त आवासीय परियोजना की निरीक्षण आख्या, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

O/c

Scanned by CamScanner

मा0 ए0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित ओ.ए. नं0–889/2019 Residents of Antriksh Kenball GH-3B, Sector-77, Noida में पारित आदेश दिनांक 20.09.2019 के अनुपालन में मै0 अन्तरिक्ष केनबाल, जी0एच0–03बी, सेक्टर–77, नोएडा के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के सम्बन्ध में आख्या :–

मा0 ए0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित ओ.ए. नं0–889/2019 Residents of Antriksh Kenball GH-3B, Sector-77, Noida में पारित आदेश दिनांक 20.09.2019 में आदेशित किया गया है कि उक्त परियोजना के विरूद्ध वादी द्वारा लगाये गये आरोपों की जाँच राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा करके Action Taken Report मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित की जाये। उक्त वाद की आगामी सुनवाई की तिथि 02.12.2019 नियत है। उक्त आदेश के अनुपालन में मै0 परफेक्ट प्रोपर्टीज बिल्ड प्रा0 लि0 द्वितीय तल, प्लाट नं0–02, कामर्शियल काम्पलैक्स, सेक्टर–10, द्वारका नई दिल्ली की आवासीय परियोजना मै0 अंतरिक्ष केनबाल, जी0एच0–03 बी, सेक्टर–77, नोएडा का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.10.2019 को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ के श्री जगदम्बा प्रसाद, वैज्ञानिक डी, के साथ किया गया।

निरीक्षण के दौरान उक्त परियोजना के प्रबन्धक श्री विजय पंडित उपस्थित थे। निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये–

1. मै0 अंतरिक्ष केनबाल टावर में 560 फ्लैट निर्मित किये गये हैं जिसमें 450 फ्लैट्स में विभिन्न परिवार तीन वर्षों से रह रहे हैं।
2. मै0 अंतरिक्ष केनबाल टावर से जनित सीवेज उत्प्रवाह का निस्तारण बिना किसी शुद्धीकरण के परिसर के बाहर किया जा रहा है। उक्त परियोजना में सीवेज शुद्धीकरण संयन्त्र की स्थापना नहीं की गयी है।
3. उक्त परियोजना द्वारा स्थापना हेतु बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। परियोजना के संचालन हेतु बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी हैं।
4. उक्त परियोजना के प्रबंधक द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक सं0–1046/ओ.ए. नं0–889/2019/एल–09/2019 दिनांक 11.11.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वांछित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रेषित नही की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मै0 परफेक्ट प्रोपर्टीज बिल्ड प्रा0 लि0 द्वितीय तल, प्लाट नं0–02, कामर्शियल काम्पलैक्स, सेक्टर–10, द्वारका नई दिल्ली की आवासीय परियोजना मै0 अन्तरिक्ष केनबाल, जी0एच0–03बी, सेक्टर–77, नोएडा के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत है–

Penalty = PL x N x R x S x LF

जहां PL = Pollution index = 80

N = Number of days = 1095

उक्त परियोजना में परिवार विगत 03 वर्षो से रह रहें है तथा परियोजना से जनित सीवेज उत्प्रवाह बिना किसी शुद्धीकरण के परिसर के बाहर निस्तारित किया जा रहा है।

R = Rs. 250.00

S = Category of industry (Large category के लिये 1.5)

अतः S = 1.5

LF = Location factor (1.0 million से कम आबादी हेतु LF 1.0 है) नोएडा की आबादी लगभग 7.0 लाख है।

अतः LF = 1.0

अतः Penalty = 80x1095x250x1.5x1.0

=Rs. 3,28,50,000/-

अतः उपरोक्तानुसार मै0 परफेक्ट प्रोपर्टीज बिल्ड प्रा0 लि0 (मै0 अंतरिक्ष केनबाल प्रोजेक्ट, नोएडा) द्वितीय तल, प्लाट नं0–02, कामर्शियल काम्पलैक्स, सेक्टर–10, द्वारका नई दिल्ली की आवासीय परियोजना मै0 अंतरिक्ष केनबाल, जी0एच0–03 बी, सेक्टर–77, नोएडा पर रू0 3,28,50,000/- (तीन करोड़ अटठाईस लाख पचास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Singh 19.11.2019
(पूर्णादित्य प्रताप सिंह)
अवर अभियन्ता

19.11.19
(कृष्ण मोहन श्रीवास्तव)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Scanned by CamScanner

Annex III

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref.No. H-44382 /सी-1/जल/1314/का0 ब0 नोटिस/201 पंजीकृत Date 29/11/2019

मै0 अन्तरिक्ष केनबाल,(मै0 अन्तरिक्ष फारेस्ट)
प्लाट नं0-जी0एच0-3बी, सेक्टर-77,
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
(द्वारा मै0 परफेक्ट प्रोपर्टीज बिल्ड प्रा0लि0 (मै0 अन्तरिक्ष केनबाल प्रोजेक्ट, नोयडा)
द्वितीय तल, प्लाट नं0-2, कामर्शियल काम्पलेक्स, सेक्टर-10,
द्वारका, नई दिल्ली.)

यह कि मै0 अन्तरिक्ष केनबाल,(मै0 अन्तरिक्ष फारेस्ट), प्लाट नं0- जी0एच0-3बी, सेक्टर-77, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर एक इकाई ग्रुप हाउसिंग परियोजना है, जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर मै0 परफेक्ट प्रोपर्टीज बिल्ड प्रा0लि0 द्वारा स्थापित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि परियोजना का निरीक्षण मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 सं0-889/2019 रेजिडेन्ट्स आफ अन्तरिक्ष केनवाल, जी0एच0-3बी, सेक्टर-77, नोयडा में पारित आदेश दिनांक 20.09.2019 के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोयडा के अधिकारियों एवं श्री जगदम्बा प्रसाद, वैज्ञानिक डी, केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण (सी0जी0डब्लू0ए0) द्वारा दिनांक 10.10.2019 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि परियोजना द्वारा 560 फ्लैट निर्मित किये गये हैं तथा मै0 अन्तरिक्ष फारेस्ट टावर में 650 फ्लैट निर्मित किये गये है। परियोजना अन्तरिक्ष केनबाल टावर से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण बिना किसी शुद्विकरण के परिसर के बाहर किया जा रहा है। परियोजना अन्तरिक्ष फारेस्ट टावर से जनित सीवेज उत्पाह के शुद्विकरण हेतु 100 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया गया है। उक्त उत्प्रवाह शुद्विकरण संयंत्र क्षमता से कम है। अतः उपयुक्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान उक्त एस0टी0पी0 के फाइनल आउटलेट से उत्प्रवाह का नमूना एकत्र किया गया जिसके परिचालक बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक पाये गये हैं। मै0 अन्तरिक्ष फारेस्ट की स्थापना हेतु SLEIAA, UP (राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण) से पर्यावरणीय स्वकृति पत्र दिनांक 31.10.2011 द्वारा प्राप्त की गई है जिसके अनुसार उक्त परियोजना में 600 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जाना था परन्तु परियोजना द्वारा केवल 100 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 संचालित किया गया है जो उपयुक्त नहीं है। परियोजना द्वारा बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं की गयी है।

परियोजना द्वारा जनित उत्प्रवाह का निस्तारण बिना किसी शुद्विकरण के परिसर के बाहर किया जा रहा है। परियोजना मै0 अन्तरिक्ष केनवाल,(मै0 अन्तरिक्ष फारेस्ट), प्लाट नं0- जी0एच0-3बी, सेक्टर-77, नोएडा, गौतमबुद्वनगर के उक्त कृत्य के कारण क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 19.11.2019 के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के आधार पर परियोजना के विरूद्व पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 3,28,50,000/- (रू0 तीन करोड अठ्ठाइस लाख पचास हजार मात्र) अधिरोपित करने एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त परियोजना पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 3,28,50,000/- (रू0 तीन करोड़ अठ्ठाइस लाख पचास हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है।

Copy Received
30/11/2019.
SHAKTINIDHI BAKSHI
CEO

क्रमशः....2

टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831,
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

Scanned by CamScanner

उपरोक्त परिपेक्ष्य में परियोजना को निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 3,28,50,000/– (रू0 तीन करोड़ अठ्ठाइस लाख पचास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड खण्ड गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0–701502010002104 आईएफएससी कोड– UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने तथा परियोजना द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि आपकी परियोजना को जलीय प्रदूषण की रोकथाम हेतु रोका जाए।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33(ए) के अंतर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के पालन में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपको यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, कि क्यों न आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निम्नरूपेण निर्देश जारी कर दिये जाएं :–

1. यह कि क्यो न परियोजना अपने उत्प्रवाह के निस्तारण को तुरन्त से बन्द कर दे।
2. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि वह आपकी परियोजना को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बन्द कर दें।

उक्त कारण बताओ नोटिस के निर्गमन के 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण एवं निर्देशानुसार रू0 3,28,50,000/– (रू0 तीन करोड़ अठ्ठाइस लाख पचास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने का साक्ष्य बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण व साक्ष्य प्राप्त न होने/संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवासीय परियोजना के जिम्मेदार संचालकों की होगी।

(ए0 के0 तिवारी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. विशेष कार्याधिकारी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के संबंध में निर्धारित समयावधि में अपनी आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1)

Scanned by CamScanner

Item No.12 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 889/2019

Residents of AntrikishKanball 3G, Sector-77, Noida Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh &Ors Respondent(s)

Date of hearing: 20.09.2019

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE S.P WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

For Applicant(s): Mr. SalikShafique, Advocate

ORDER

Grievance in this application is against illegal discharge of untreated effluents at AntrikishKanball 3G, Sector 77, NOIDA in green belt and storm water drain. It is also alleged that ground water is being illegal drawn for washing roads, cars etc. There is no STP in the residential complex. DG sets are also illegally used without use of exhaust system of chimney and without following environmental norms. There is no consent to operate from the State PCB. There is also no rain water harvesting system.

With a view to consider the allegations, we find it necessary to require a factual and action taken report from the State PCB and CGWA by email at judicial-ngt@gov.in. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

The applicant may serve set of papers on the State PCB and CGWA and file an affidavit of service within one week.

Scanned by CamScanner

List for further consideration on 02.12.2019.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

September 20, 2019
Original Application No. 889/2019
A

NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Scanned by CamScanner